

OFFICE OF THE PRINCIPAL, S.N. MEDICAL COLLEGE, AGRA-282002

Phone: 0562-2260353, Fax: 0562-2260965

No. S.P.S./2023-24/971

Dated : 07 -02-2024

To,

The Director of Information,
Department of Information & Public Relations,
(C) Department U.P.,
Lucknow.


Subject : e-Tender Notice.

Dear Sir,

Kindly find enclosed herewith the Short Term e-Tender Notice with the request to get it published in following Hindi & English dailies on two consecutive dates.


Encls: As Above with 6 & CD.

Yours faithfully,


Principal,
S.N. Medical College, Agra

Copy to following for information and necessary action please:

- 1- Account Section, Principal Office, S.N. Medical College, Agra.
- ✓2- Officer In-charge-Website, S.N. Medical College, Agra with request to upload the tender notice on college website www.snmcagra.ac.in.


Principal,
S.N. Medical College, Agra

S.N. Medical College & Hospital, Agra

पत्र संख्या-एस0एन0एस0 / 2023-24 / 971

दिनांक-07.02.2024

"विज्ञप्ति"

एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा द्वारा निष्प्रयोज्य व अनुपयोगी घोषित वाहनों की नीलामी दिनांक 06.03.2024 को दोपहर 12 बजे की जायेगी। नीलामी में प्रतिभाग लेने वाले प्रतियोगियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः एवं अनिवार्यतः पूर्ण किया जाना प्रत्येक दशा में बाध्यकारी होगा।

1. अर्नेस्ट मनी के समतुल्य टोकन शुल्क रूपये 5,000/- जो कि नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी, जमा करानी होगी।
2. टोकन प्राप्त करने से पूर्व धनराशि रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र) की एफ0डी0आर0 प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा के नाम बन्धक होगी। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड की छायाप्रति, जिलाधिकारी के स्तर से अधिकतम छः माह पूर्व तक निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति, जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं का एक फोटो जमा करना अनिवार्य होगा।
3. टोकन, विज्ञप्ति के प्रकाशन की दिनांक 15 फरवरी से 05.03.2024 तक तथा निष्प्रयोज्य सामग्री (वाहनों) का अवलोकन एवं परीक्षण किसी भी कार्यदिवस तथा कार्यालयावधि में अपरान्ह 2:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक किया जा सकता है।
4. नीलामी धनराशि को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, नीलामी समिति का होगा जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। नीलामी की स्वीकृति का अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, नीलामी समिति का होगा।
5. वाहनों की नीलामी "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर की जायेगी। नीलामी की स्वीकृति धनराशि पर 18 प्रतिशत अथवा जो भी वर्तमान में लागू है, जी0एस0टी0 देय होगा।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त गुप्ता)

प्रधानाचार्य

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा